प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-302/2024 दिनांक 27.10.2024)
दिनांक-27.10.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

प्रेसनोट जनपद कुशीनगर
दिनांक 27.10.2024,थाना सेवरही-

पुलिस मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल/गिरफ्तार, एक अदद बोलेरो वाहन मय 04 राशि गोवंशीय पशु, एक अदद अवैध तमन्चा ,5300/- रुपये नगद बरामद-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.10.2024 को थाना सेवरहीं क्षेत्रान्तर्गत सूचना प्राप्त हुई कि कुछ शातिर पशुतस्कर बोलेरो वाहन से सीमावर्ती क्षेत्रो के रास्ते गोवंशो को चोरी छिपे लादकर बिहार ले जा रहे है। इस सूचना पर तत्काल योजना बनाते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया जिसमें थाना सेवरही, थाना पटहेरवा, थाना विशुनपुरा एवं साईबर थाना की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विशुनपुरा सेवरही मार्ग पर गगलवा पुल नहर के पास गणेशापट्टी जाने वाली सड़क नहर मार्ग पर घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बोलेरो वाहन पुलिस बैरियर को तोड़कर आता दिखाई दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा जंगल में पेड़ों व झाडियों की आड़ लेकर लक्ष्य साधकर पुलिस टीम पर जान मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी प्रतिरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गयी जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया जिसकी पहचान विक्की प्रसाद पुत्र लड्डू प्रसाद साकिन गोपालगढ़ थाना कसया जनपद कुशीनगर, हा0मु0 मंगहरिया आमकोल थाना चौरा चौरी जनपद गोरखपुर के रुप में हुई है। उसके कब्जे से 04 राशि गोवंशी पशु, एक अदद ठोस लकड़ी का गोलाकार ठिहा, रस्सी व दो अदद चाकू, एक अदद अवैध तंमचा व 03 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को दवा ईलाज हेतु पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल भेजा गया है। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है जो सीमावर्ती क्षेत्रो के रास्ते गोवंशीय पशुओं को वाहनों में क्रूरता पूर्वक लादकर बिहार आदि राज्यों में ले जाकर गो-तस्करी का कार्य करते है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का लम्बा अपराधिक इतिहास है। इसके विरुध्द जनपद कुशीनगर व आसपास के जनपदों मे लगभग एक दर्जन मुकदमें पंजीकृत है।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त-

विक्की प्रसाद पुत्र लड्डू प्रसाद साकिन गोपालगढ़ थाना कसया जनपद कुशीनगर, हा0मु0 मंगहरिया आमकोल थाना चौरा चौरी जनपद गोरखपुर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 199/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 307 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर(वांछित)

2.मु0अ0स0 200/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
3.मु0अ0स0474/2024 धारा 3(1) यू.पी. गैगेस्टर एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
4.मु0अ0स0 440/2022 धारा 323/363/376डी/506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
5.मु0अ0स0 160/2023 धारा 336/427/352 भादवि थाना को0 गोरखपुर जनपद गोरखपुर
6.मु0अ0स0 389/2023 धारा 363/353/427/504/506 भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
7.मु0अ0स0 405/2022 धारा 307/34 भादवि व 7 सी.एल.ए. एक्ट थाना चौरीचोरा जनपद गोरखपुर
8.मु0अ0स0 165/2022 धारा 307/120बी भादवि थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
9.मु0अ0स0 618/2024 धारा 109/61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर(वांछित)
10.मु0अ0स0 525/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0अधि0 व 62/303(2) बीएनएस थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर(वांछित)

विवरण बरामदगीः-

1-04 राशि गोवंश
2-अपराध में प्रयुक्त एक अदद बोलेरो वाहन
3-एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर
4-03 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
5-02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
6-अपराध से अर्जित अवैध 5300/- रुपये नगद
7-गौवंशो को काटने हेतु उपयोग में लाये जाने वाला एक अदद धारधार लोहे का बाका
8-एक अदद ठोस लकड़ी का गोलाकार ठिहा
9-गोवंशों को क्रूरता से बांधने हेतु एक अदद रस्सी मजबूत
10-02 अदद चाकू

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1-निरीक्षक श्री मनोज पंत थाना साईबर जनपद कुशीनगर मय टीम
2-प्र0नि0 श्री रामसहाय चौहान थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर मय टीम
2-थानाध्यक्ष श्री प्रकाश राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर मय टीम
3-थानाध्यक्ष श्री दीपक सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर मय टीम

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 10 पेटी अवैध देशी शराब (कुल कीमत लगभग 46,000/- रुपये) के साथ 01 शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.10.2024 को थाना सेवरही पुलिस टीम द्वारा थाना सेवरही क्षेत्र से 01 अभियुक्त नरेश प्रसाद पुत्र रूदल प्रसाद सा0 बैकुण्ठपुर कोठी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर

उसके कब्जे से भण्डारण किया गया 10 पेटी देशी शराब बन्टी बबली की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 363/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछ-ताछ का विविरण-

अभियुक्त द्वारा पुछताछ में बताया गया कि इस शराब को वह भण्डारण करके रखा था और उसको बिहार राज्य में ले जाकर अधिक मूल्य पर बेचन वाला था।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 363/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

नरेश प्रसाद पुत्र रूदल प्रसाद सा0 बैकुण्ठपुर कोठी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगीः-

10 पेटी अवैध देशी शराब बन्टी बबली (कुल कीमत लगभग 46,000/- रूपये।)

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2-उ0नि0 संदीप वर्मा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3-का0 प्रदीप सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4-का0 प्रितोष यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 64नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-69, व्यक्ति-225
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)
4-जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-66)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर